

समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

खाद्य सुरक्षा वाद संख्या-05/2013

झारखण्ड राज्य सरकार

-बनाम्-

मेसर्स प्रकाश भण्डार, प्रो० रमेश कुमार

-:आदेश :-

03.10.2017

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें सलग्न कागजातों का अवलोकन किया। अभिहित पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो के पत्रांक 377 दिनांक-30.10.2013 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक-11.06.2013 को श्री बी०के०सिन्हा, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत मेसर्स प्रकाश भण्डार, प्रो० रमेश कुमार, सा०-जरीडीह बाजार, थाना-गांधी नगर, बोकारो में खाद्य पदार्थों की जांच की गई। जांच के क्रम में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा 1000 ग्राम मयूर मिर्चा पाउडर (सील्ड) क्रय कर समूह करते हुए जांच हेतु खाद्य विश्लेषक को भेजा गया। जांचोपरान्त खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि भेजा गया मिर्चा पाउडर **Misbranded** है। जिसके आधार पर अभिहित पदाधिकारी-सह-अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 की धारा 26, 27 एवं 52 के अन्तर्गत विपक्षी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया।

इसी क्रम में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 के अन्तर्गत कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि को राज्य सरकार की ओर से विज्ञ अपर लोक अभियोजक, बोकारो एवं विपक्षी को सुना गया।

राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि प्रश्नगत खाद्य पदार्थ जो कि **Misbranded** पाया गया है, को खरीदना एवं बेचना खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 की धारा 52 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उसके बावजूद भी उक्त खाद्य पदार्थ को दूकान में रखना, उनके बेचने/उपयोग करने की गंभीरता को दर्शाता है।

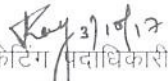
विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा लिखित रूप से कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें उल्लेख है प्रश्नगत मयूर मिर्चा पाउडर (सील्ड) के **Misbranded** होने के संदर्भ में विपक्षी को कोई भी ज्ञान नहीं था। विपक्षी के द्वारा अनजाने में हुआ भूल है न कि जानबूझकर। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि विपक्षी प्रश्नगत खाद्य पदार्थ के निर्माणकर्ता नहीं है, वे मात्र विक्रेता हैं। ऐसी स्थिति में यह वाद पोषणीय नहीं है तथा खारिज करने लायक है। विपक्षी (दूकानदार) के द्वारा कहा गया कि वे गरीब व्यवसायी हैं। अतः उन्होंने अपने विरुद्ध कार्रवाई को समाप्त करने हेतु अनुरोध किया है।

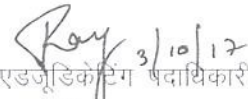
दोनों पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कामजातों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत गयूर मिर्चा पाउडर विपक्षी के दुकान से पाया गया है। जॉब के दौरान पाया गया कि प्रश्नगत मिर्चा पाउडर मिलावटी है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि इस मिलावटी मिर्चा पाउडर का उपयोग भोजन सामग्री बनाने में नहीं किया जाता होगा। यदि ऐसे मिलावटी खाद्य पदार्थ ग्राहकों को बेचा जाता है तो यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए विपक्षी पर लगाया गया आरोप सही है और दण्डनीय है। चूंकि यह विपक्षी के विरुद्ध इस न्यायालय में पहला मामला है और अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस मिलावट से कोई लाभ नहीं मिला है। प्रथम पक्ष द्वारा अब तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे प्रमाणित हो कि विपक्षी द्वारा इस गलती को पुनः दोहराया गया हो अथवा किसी ग्राहक को इस मिलावटी मिर्चा पाउडर से नुकसान पहुँचा हो।

अतः उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा-52 "Any person who whether by himself or by any other person on his behalf manufactures for sale or stores or sells or distributes or imports any article of food for human consumption which is misbranded, shall be liable to a penalty which may extend to three lakhs rupees." के तहत विपक्षी पर रु० 10,000.00 (दस हजार) मात्र जुर्माना किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर जुर्माना की राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का ब्रॉस डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा अधोहरताक्षरी के पक्ष में जमा करना सुनिश्चित करें। भविष्य में ऐसी गलती की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी दी जाती है एवंवाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति अनुपालन कराने हेतु अभिहित पदाधिकारी-सह -अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बोकारो को भेजें।

लेखापित्त एवं संशोधित।


एडजूडिकेटिंग पदाधिकारी
-सह-
जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।


एडजूडिकेटिंग पदाधिकारी
-सह-
जिला दण्डाधिकारी, बोकारो।